उत्तर प्रदेश शासन।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2
संख्या-59/2019/1140 /65-2-2019-04(विविध)/2018
लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: सिपडा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निष्प्रयोज्य रह गयी धनराशि रू0 5.733 लाख को भारत सरकार को वापस किया जाना।

भारत सरकार के पत्र संख्या-16-66(UP)/2005-DD.III(Pt.-V) दिनांक 15.05.2007 द्वारा वर्ष 2007-08 में उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने के कार्य हेतु धनराशि रू0 10.78 लाख तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-16-22/2011-DD.III दिनांक 23.12.2011 द्वारा वर्ष 2011-12 में सिपडा योजनान्तर्गत धनराशि रू0 418.57 लाख अवमुक्त किये गये।

2. वर्ष 2011-12 में सिपडा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 847.91 लाख के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्ष 2007-08 में अवमुक्त धनराशि रू0 10.78 लाख का समायोजन करते हुये रू0 837.13 लाख के 50 प्रतिशत धनराशि रू0 418.57 लाख अवमुक्त किये गये। उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने के कार्य हेतु वर्ष 2007-08 में अवमुक्त धनराशि रू0 10.78 लाख के लिये तत्समय कोई बजटीय हेड न होने के कारण, उक्त धनराशि का व्यय नहीं किया जा सका था।

3. इस प्रकार सिपडा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में रू0 847.91 लाख के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा मान्य अवमुक्त धनराशि रू0 429.35 लाख (रू0 418.57 लाख + रू0 10.78 लाख) है। राज्य सरकार द्वारा रू0 847.91 लाख के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष लगभग 50 प्रतिशत धनराशि रू0 423.617 लाख संबंधित एजेन्सियों को निर्गत किये गये। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में धनराशि रू0 5.733 लाख (रू0 429.35 लाख - रू0 423.617 लाख) निष्प्रयोज्य रह गयी है, जिसे भारत सरकार को वापस किया जाना है।

4. अत: एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिपडा योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा मान्य अवमुक्त धनराशि रू0 429.35 लाख के सापेक्ष निष्प्रयोज्य रह गयी धनराशि रू0 5.733 लाख (रू0 पॉच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) का भुगतान "इन्टर गवर्नमेन्ट एडवाइस" के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के लेखाशीर्ष-1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-03-केन्द्रीय आयोजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-900-घटाएँ-वापसियॉ-01-वापसियॉ" के नामे डाला जायेगा।

अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-59 /2019/1140(1)/65-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पॉचवा तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, वेस्ट हाई कोर्ट रोड़ नागपुर 440001।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।